

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत

SD 0

मुकाम

कैलाश

बनाम

शमकल्याण

क्रिम मुकदमा

88, 89, 188, 92(क)

122/दावा/2020

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
02-09-2020	<p>RA Acct</p> <p>वाद पत्र अन्तर्गत द्वारा 88, 89, 188, 92(क) RA Acct के तहत प्राप्ति पत्र 80(2) CPC के साथ श्री ए.न.लतानिया Adv. ने पेश किया। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्राप्ति पत्र 80(2) CPC पर वकील वादी को सुना गया। प्राप्ति पत्र 80(2) CPC स्वीकार किया जाकर वाद दर्ज रजिस्टर करने की अनुमति दी जाती है। प्रतिवादी गण को जरूरी सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 8-12-2020 को पेश है।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। परकारान के प्रतिवादी महोदय उपस्थित। श्रीमान वीरसीन अधिकारी महोदय वारे/अवकाश में तशरीफ रखते है पत्रावली दिनांक को पेश हो</p>	<p>कार्यवाही नही-याहने</p> <p><i>[Signature]</i></p>
2-12-20	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी कैलाश द्वारा कार्यवाही नही-याहने का अंकन शार्डर शीट पर किया गया। वकील वादी श्री शमकल्याण साहू उपस्थित है। पत्रावली में वादी द्वारा कोई कार्यवाही नही-याहने के कारण वाद पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली वाद तकमील दारिखल इफतर है।</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Id. S</p> <p>शमकल्याण</p> <p>(28/12/20)</p> <p>(शमकल्याण साहू)</p>

उपखण्ड अधिकारी

मैमॉ (बुन्दी)

